



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-08102021-230269
CG-MH-E-08102021-230269

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3818]
No. 3818]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 8, 2021/ आश्विन 16, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 8, 2021/ ASVINA 16, 1943

रेल मंत्रालय
[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]
अधिसूचना
मुम्बई, 21 अगस्त, 2021

का.आ. 4153(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के उपखंड (i) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (पश्चिम रेलवे निर्माण संगठन) की अधिसूचना का.आ. 1455(अ) दिनांक 06.04.2021 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (पश्चिम रेलवे निर्माण संगठन) की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि को गुजरात राज्य के राजकोट जिले में सुरेंद्रनगर-राजकोट ब्रोड गेज इकहरी लाइन का दोहरीकरण परियोजना नाम की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय की घोषणा करी थी।

और, उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन स्थानीय दैनिक समाचार “संदेश एंड इंडियन एक्सप्रेस” में दिनांक 18.05.2021 को प्रकाशित किया गया था और, सक्षम प्राधिकारी को किसी भी व्यक्ति का कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है।

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20 इ की उप-धारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है।

अतः अब, केंद्रीय सरकार सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर रेल अधिनियम की धारा 20इ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

विषय: गुजरात राज्य में सुरेंद्रनगर-राजकोट ब्रोड गेज इकहरी लाइन खंड के दोहरीकरण नामक विशेष रेल परियोजना के लिये अधिग्रहण की जानेवाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण (डी. आई. एल. आर. राजकोट द्वारा प्रदान की गई जाइंट मेजरमेंट शीट के अनुसार)।

अनुसूची

जिले का नाम : राजकोट

तालुका का नाम : राजकोट

क्र. सं.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि का प्रकार (खेती/ गैर खेती)	क्षेत्रफल (स्क्वेअर मीटर)	भूमि मालिक का नाम
1	राजकोट	हडमतिया (बेडी)	158/1	निजी	खेती	1014	हिरनभाई अम्बाभाई डोडिया
2	राजकोट	हडमतिया (बेडी)	158/2	निजी	खेती	570	हरदेवसिंह रघुवीरसिंह जाडेजा, विश्वजीत सिंह हरदेवसिंह
3	राजकोट	हडमतिया (बेडी)	177 P 1	निजी	खेती	788	महिपालसिंह जयुभा जाडेजा
4	राजकोट	राजगढ़	5	निजी	खेती	1028	उज्ज्वल मोहनभाई, दुधिवेन मोहनभाई, बड़ीवेन मोहनभाई, सवितावेन मोहनभाई, रमेशभाई मोहनभाई
5	राजकोट	राजगढ़	9 P 5	निजी	खेती	1443	दीवालीवेन बालूभाई कंटारीया
6	राजकोट	राजगढ़	10	खराबो	खेती	568	पो. खराबो ग्राम पंचायत
7	राजकोट	खोराना	345 P1 P3	निजी	खेती	251	हरिलाल रत्नाभाई मोणपरा विनोदभाई रत्नाभाई मोणपरा
8	राजकोट	खोराना	345 P3	निजी	खेती	738	जयावेन लखमणभाई सोरठिया, किशनभाई लखमणभाई सोरठिया
9	राजकोट	खोराना	345 P4	निजी	खेती	481	जयावेन लखमणभाई सोरठिया, किशनभाई लखमणभाई सोरठिया
						6881	(स्क्वेअर मीटर)

[फा. सं. WNC 335/1/2/Rajkot-Gujarat]

परमजीत सिंह, मुख्य अभियंता (निर्माण)- VI,

पश्चिम रेलवे, चर्चगेट

MINISTRY OF RAILWAYS
[Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Mumbai, the 21st August, 2021

S.O. 4153(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board) (Published in the Gazette of India, under notification No. 1455 (A) of dated 06.04.2021 Extra Ordinary P II Section 3 Subsection (II)) (here in after referred to as the said notification) under subsection(I) of section 20A of the Railway Act 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquired the land specified in the Schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project, namely, Surendranagar Rajkot doubling of Broad Gauge single line in District Rajkot in the State of Gujarat.

And, whereas, the substance of the said notification was published in daily local newspaper “Sandesh and Indian Express” dated 18.05.2021 under subsection (4) of section 20A of the said Act, and, whereas, no objection has been received by the competent authority.

And, whereas, in pursuance of sub-section (I) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report of the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

Sub : Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely: Surendranagar - Rajkot doubling of Broad Gauge single line in the state of Gujarat as per joint measurement sheet prepares by DILR Rajkot.

SCHEDULE

Name of District: RAJKOT

Name of Taluka: RAJKOT

Sr.No.	Name of Taluka	Village Name	Survey No.	Type of Land	Nature of Land	Area of Land to be Acquire (in Sqm.)	Name of Land Owner/Interested Person
1	RAJKOT	HADMATIYA (BEDI)	158/1	Agriculture	Private	1014	Hirenbbhai Ambabbhai Dodiya
2	RAJKOT	HADMATIYA (BEDI)	158/2	Agriculture	Private	570	Hardevsinh Rghuvirsinh Jadeja, Visvajeet sinh Hardevsinh
3	RAJKOT	HADMATIYA (BEDI)	177 P 1	Agriculture	Private	788	Mahipalsinh Jayubha Jadeja
4	RAJKOT	RAJGADGH	5	Agriculture	Private	1028	Ujiben Mohanbhainn Dudhiben Mohan bhai Badhiben Mohanbhai Savitaben Mohanbhai Rameshbhai Mohanbhai
5	RAJKOT	RAJGADGH	9 P 5	Agriculture	Private	1443	Diwaliben Balubhai Kantariya
6	RAJKOT	RAJGADGH	10	Kharabo	Gram Panchayat	568	Po. Kharabo Gram Panchayat

7	RAJKOT	KHORANA	345 P1 P3	Agriculture	Private	251	Harilal Ratnabhai Monpara, Vinodbhai Ratnabhai Monapara
8	RAJKOT	KHORANA	345 P3	Agriculture	Private	738	Jayaben Lakhmanbhai Sorathiya, Kishanbhai Lakhman bhai Sorathiya
9	RAJKOT	KHORANA	345 P4	Agriculture	Private	481	Jayaben Lakhmanbhai Sorathiya, Kishanbhai Lakhmanbhai Sorathiya
					Total Area (Sq. M) =	6881	

[F. No. WNC 335/1/2/Rajkot-Gujarat.]

PARAMJEET SINGH, Chief Engineer (Construction) VI,
Western Railway, Churchgate,